राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रम प.9(19)राज–6 / 2018 / 03 — जयपुर, दिनांकः 29/5/18

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 में ले आउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.6(26)राज–6 / 2014 / 33 दिनांक 06.12.2016 द्वारा संशोधन कर संपरिवर्तन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के बाद भी ले आउट प्लान तथा बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के संबंध में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में नियमों में विहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्न स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन जारी किया जाता है।

अधिसूचनां दिनांक 6.10.2016 द्वारा नियमों में प्रपत्र G जोड़ा जाकर ले आउट प्लान तथा बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रपत्र G के क्रम संख्या 4 में यह प्रावधान किया गया है कि 500 वर्ग मीटर अथवा उससे बड़ी आवासीय ईकाई व्यावसायिक प्रयोजन एवं संस्थागत प्रयोजन हेतु बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन नगर नियोजन विभाग के नगर नियोजक की तकनीकी राय पर किया जावेगा।

अधिसूचना दिनांक 6.10.2016 द्वारा जोड़े गये नियम 19–B अनुसार रूपांतरण आदेश जारी होने के बाद प्रपत्र G में विहित प्रक्रिया के अनुसार ले आउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान स्वीकार करने की कार्यवाही की जावेगी। इससे यह स्पष्ट है कि नियम 9(2) तथा प्रपत्र G के क्रम संख्या 4 में अंकित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु ले आउट प्लान / बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की आवश्यकता नही है। इस प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन आदेश जारी करने से पूर्व निर्धारित मानदण्डानुसार पहुंच मार्ग व अन्य संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अतः विहित प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन आदेश प्रसारित करने के पश्चात नियम 9(2) तथा प्रपत्र G के क्रम संख्या 4 पर वर्णित प्रयोजन हेतु ले आउट प्लान / बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

(रामनिवास जाट)
सयुंक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0राजस्व मंत्री महोदय को उनकी अशाटीप क्रमांक 720 दिनांक 21.03.18 के क्रम में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. समस्त,सयुंक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

सयुंक्त शासन सचिव